BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 288 OF 2025

THE MATTER OF:

Ashok Singh …….**PETITIONER**

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. …….**RESPONDENT**

INDEX

NDOH : 09.10.2025

S. No.	Particulars	Pages
1.	Response Affidavit On Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board (Respondent No.3), In Compliance With The Order Dated 08.07.2025 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	
2.	**Annexure- 1** A Copy Of Letter Dated 25.07.2025	
3.	**Annexure -2** A Joint Committee Report Along With Its Respective Annexure And Photograph Taken During Inspection	

Respondent No.3

Through

(HARSHITA RAGHUVANSHI)
Advocate for the Respondent No.3,
Chamber No. 439, 4th Floor,
Block D, Additional Building Complex,
Supreme Court, New Delhi-01

Dated: 04.10.2025
New Delhi

Mobile No. 8090217309
E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

13,562 03,oct, 2025 S.No. Year

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 288/2025

IN THE MATTER OF:

Ashok Singh **......Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. **......Respondent(s)**

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 08.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Rohit Singh, aged about 53 year, S/o Shri N.C. Sachan, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as the Hon'ble Tribunal) vide its order dated 08.07.2025 has constituted a Joint Committee comprising of representative of UPPCB, Divisional Forest Officer, Jaunpur and District Magistrate, Jaunpur by passing the following direction:

"...5. *In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Jaunpur, (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. through its Managing*

Director and (5) the Electricity District Distribution Center, Vidut Nagar, Varanasi through the Executive Engineer who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 5 requiring them to file their reply/response within two months.

6. *In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of UPPCB, Divisional Forest Officer, Jaunpur and District Magistrate, Jaunpur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.... "*

3. That in compliance with the order dated 08.07.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, UPPCB has communicated with the District Magistrate, Jaunpur to schedule the date of joint committee inspection. In continuation to the said communication the District Magistrate, Jaunpur had fixed 02.08.2025 for joint inspection.

4. That in pursuance to the above, UPPCB sent letter to the DFO, Jaunpur, EE, U.P. Power Corporation Limited (Concern Electric Transformer Workshop, Badalapur, Jaunpur), E.E., Electricity District Distribution Center, Vidut Nagar, Varanasi & Sri Ashok Singh resident of Bhupatipatti, Shivapaar, Jaunpur for participation in proposed joint inspection vide reference letter No.450/NGT OA No.288/2025/25-26, dated 25.07.2025.

A copy of letter dated 25.07.2025 is being annexed herewith as **Annexure-1.**

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
03.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

5. That on 02.08.2025 the Joint Committee has undertaken the inspection of the site, i.e. "Electric Workshop, Badlapur, Jaunpur,". During on-site inspection/verification, examination of records, and discussions with the representatives of complainant/applicant. Following facts were observed by the joint committee:

   (i) The Uttar Pradesh Power Corporation Limited has established an electric transformer workshop at Arazi No. 32mi, Village-Pattidayal, Pargana-Rari, Tehsil-Badalapur, District-Jaunpur. Geo coordinates, latitude-25.877960 and Longitude - 82.472068.

   (ii) The District Magistrate, Jaunpur had freed electric transformer workshop from the possession of the Gram Panchayat/Loacl authority and given to Executive Engineer, Electricity Distribution Division II-Jaunpur vide letter no. 169/DLRC-Jaunpur, dated 15.12.2021 for opening the power transfer workshop at Arazi No. 32mi (Area 9000 square meter), Village-Pattidayal, Paragana-Rari, Tehsil-Badlapur, District-Jaunpur for 30 years and then renewal for more 30-30 years as per requirement for a period up to 90 years.

   (iii) The Executive Engineer, Vidyut Janpad Khand (V), Purvanchal Vidyut Vitran Nigam, Limited, Vidyut Nagar, Bhikharipur, BLW, Varanasi sent vide letter no. 1936/V.Ja. Khand (V)/V. Badalapur workshop, dated 03.01.2022 to District Forest Officer, Jaunpur and requested to survey the tree and plants of different species and the existing trees at the proposed work site and to carry out felling. In the same sequence, DFO Jaunpur evaluating 52 trees and sent for auction/felling as per rules.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
03.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

(iv) The Executive Engineer, Vidyut Jaunpur Khand (V) Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Vidyut Nagar, Bhikharipur, BLW, Varanasi had invited quotations for the work of tree cutting and lifting of trees of different species located at the referenced site and auction work order issued to M/s Adarsh Traders, A-18/14A-1, Dewanganj, Adampur, Varanasi vide letter no. 357 / Vij Khand (V) / Va. / Work Order / Badlapur-Jaunpur, dated 24.05.2022 and letter no. 40 / Vij Khand (V) / Va. / Revised Work Order / Badlapur-Jaunpur Camp, dated 22.08.2022. Thereafter, DFO, Jaunpur, granted permission for auction, felling and transportation of trees after taking cognizance of the letter dated 30.08.2022 of M/s Adarsh Traders, A-18/14A-1, Diwanganj, Adampur, Varanasi vide letter number-773/33-3 Jaunpur, dated 03.09.2022. The repair capacity of the referenced electric transformer workshop is 400 transformers per month. Before the establishment of the workshop in village-Pattidayal, the only transformer repair workshop in District-Jaunpur was established in Ahiapur of Jaunpur city. After the start of the transformer workshop in village-Pattidayal, the distance of travel and expenditure for repairing transformers has reduced. Due to reduction in the distance of travel, the fuel consumption for transportation has also been reduced, which has directly/indirectly reduced air pollution and the life of common people has improved due to rapid improvement in transformers.

(v) A complaint dated 14.09.2022 has already been filed by Shri Lalchand Sharma and other villagers of village Pattidayal, Badlapur, Jaunpur before this Hon'ble Tribunal, against the

नोटरी भारत सरकार उदयकृष्ण चतुर्वेदी U. K. Chaturvedi रजि०नं०-13373/17 03.10.25 NOTARY GOVT OF INDIA

establishment of the said electric transformer workshop, the relevant portion of the order dated 03.03.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No.-101/2023, Lalchand Sharma vs. Uttar Pradesh, are as follows:

"...3. In our view the grievance at the first instance can be looked into by the Local Authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint 2 Committee comprising PCCF (HoFF), State PCB and District Magistrate, Jaunpur who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.
4. The District Magistrate, Jaunpur shall be nodal agency for coordination and compliance..."

6. That in compliance to the above direction, District Magistrate, Jaunpur, Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow and UPPCB had conducted a site inspection of the work site of the electric transformer workshop on 21.03.2023, thereafter, Divisional Director, Social Forestry Division, Jaunpur issued notice to stop cutting/felling of trees to M/s Adarsh Traders vide letter No. 3168/14-16, Jaunpur, dated 28.03.2023. During inspection, the committee was informed about the remaining 21 trees and it was decided to plant 520 (fast growing) saplings in place of the felled trees, in relation to which an undertaking has been given by the Electricity Department vide letter dated 12.05.2023, according to which 31 trees have been planted and Rs. 4,07,100.00 has been paid to the Forest Department for planting the remaining 490 trees.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
03.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

7. That during the joint committee inspection dated 02.08.2025, 19 trees were found inside the boundary wall of the electric transformer workshop and 02 trees were found along the boundary wall. In

addition to these trees, 31 saplings were found planted inside the boundary wall and 490 saplings were found planted around the pond near the workshop, which has also been confirmed by the Divisional Director, Social Forestry Division, Jaunpur vide letter no. 807/2-43, Jaunpur, dated 25.08.2025. Further, the complainant, Mr. Ashok Singh, was contacted on telephone number 9044287300. He expressed his inability to be present at the site during the on-site inspection/verification and nominated Mr. Rajesh Kumar Sharma s/o of Mr. Keshav Prasad Sharma, Village-Pattidayal, Tehsil-Badlapur, District-Jaunpur as the complainant's representative.

8. That at the time of inspection, Mr. Rajesh Kumar Sharma was present as the complainant's representative and suggested to the Joint Committee for plantation of more mangoe trees inside the electrical transformer workshop premises. On the spot, Joint Committee directed to representative of the Electrical Transformer Workshop to immediately plant approximately 50 trees in the workshop premises and inform the Joint Committee. In compliance Executive Engineer, Vidyut Janpad Khand (V), Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Vidyut Nagar, Bhikharipur, BLW, Varanasi informed to committee for planting of 52 trees (26 mango and 26 guava) on site of the Electrical Transformer Workshop vide letter No. 998/V.J. Khan. (V.)/V., dated 21.08.2025.

A joint committee report along with its respective annexure and photograph taken during inspection is being annexed herewith and marked as **Annexure-2.**

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
03.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

9. That in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal a reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
03-10-25
NOTARY GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi..... on this 03rd day of Oct... 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Notarial Affidavit,
पंजियन / Registration
क्र०सं०/Sr. No. 13569
दि०/Dt. 03.10.25
स्थान/Place C.C. Vns. U.P
एड०/Adv. self
By Uday Krishna
एड०Adv. दि०क०वा०
C.C.V. U.P.
03 Oct. 2025

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
03-10-25
NOTARY GOVT OF INDIA

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं./Ref.No. USO/N.G.T/O.A. No-288/2025/25-26 दिनांक/Date 25-7-25

सेवा में,

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (सम्बन्धित विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर)
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, विद्युत नगर, वाराणसी (सम्बन्धित विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर)
4. श्री अशोक सिंह, निवासी भूपतिपट्टी, शिवापार, जौनपुर उ0प्र0

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में श्री अशोक सिंह, निवासी भूपतिपट्टी, शिवापार, जौनपुर के पत्र याचिका दिनांक 30.01.2025 के क्रम में आदेश दिनांक 08.07.2025 पारित किये गये है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"....... 5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Jaunpur, (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. through its Managing Director and (5) the Electricity District Distribution Center, Vidut Nagar, Varanasi through the Executive Engineer who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 5 requiring them to file their reply/response within two months.

6. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of UPPCB, Divisional Forest Officer, Jaunpur and District Magistrate, Jaunpur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance. ...."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर द्वारा श्री अशोक सिंह के पत्र याचिका में इंगित स्थल **"विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर"** का संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किये जाने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति के सदस्यों को संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किये जाने हेतु **दिनांक 02.08.2025, सायं 05:00 बजे** नियत की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित उक्त तिथि एवं समय पर समस्त सूचनाओं सहित संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर द्वारा दिनांक 24.07.2025 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा शिकायती स्थल "विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर" के संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन की आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में दिनांक 08.07.2025 को पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"....... 5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Jaunpur, (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. through its Managing Director and (5) the Electricity District Distribution Center, Vidut Nagar, Varanasi through the Executive Engineer who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 5 requiring them to file their reply/response within two months.

6. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of UPPCB, Divisional Forest Officer, Jaunpur and District Magistrate, Jaunpur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance. ...."

उक्त वाद में क्रम संख्या–01 पर वन विभाग, क्रम संख्या–02 पर जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर, क्रम संख्या–03 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्रम संख्या–04 पर उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं क्रम संख्या–05 पर जिला विद्युत वितरण केन्द्र को प्रतिवादी बनाया गया है तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संयुक्त समिति, जिसके सदस्य जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर, प्रभागीय वनाधिकारी, जौनपुर तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) को नामित करते हुए दो सप्ताह के अन्तर्गत आपस में समन्वय स्थापित कर, श्री अशोक सिंह के आवेदन पत्र के दृष्टिगत आवेदक तथा प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट से सम्पर्क कर वास्तविक तथ्यों का सत्यापन करते हुए उचित उपचारात्मक कार्यवाही तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर द्वारा श्री अशोक सिंह के पत्र याचिका में इंगित स्थल "विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर" का संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किये जाने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति के सदस्यों को संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किये जाने हेतु दिनांक 02.08.2025, सायं 05:00 बजे नियत की गयी। उक्त संयुक्त निरीक्षण में

प्रतिभाग किये जाने हेतु सम्बन्धित को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक–450/एन.जी.टी./ओ.ए.नं.–288/2025/25–26, दिनांक 25.07.2025 **(संलग्नक–01)** से संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, उक्त के अनुपालन में नामित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत स्थल का स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण दिनांक 02.08.2025 को किया गया, निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों/प्रतिनिधि के उपस्थिति की फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

ATTENDENCE SHEET

SITE VISIT IN OA No - 288/2025 ON DATED - 02/08/2025

S.No.	Representative Name	Designation	Sign
01	Dr. DINESH CHANDRA	District Magistrate Jaunpur	DM 02/08/2025 DM
02	Ajay Ambastha	CRO	7/8
03	Pramila	DFO	
04	Rohit Singh	R.O. UPPCB	02/08/25
05	Amit Kr.	SDO workshop	
06	Rajesh Kumar Sharma	Complainer Representative Shri Ashok Singh	
07	Brajendra Kr. Singh	N.T. Badlapur	
08	Jitendra Bahadur Rajpoot	Lekhpal	
09	Lal chandra	vill- Pattidayal	
10.	Atul Thenua	J.E UPPCB	

स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन के समय पाये गये तथ्यों, अभिलेखों के परीक्षण एवं उपस्थित प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के अनुसार संयुक्त समिति की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :–

1. प्रश्नगत विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम–पट्टीदयाल, परगना–रारी, तहसील–बदलापुर, जनपद–जौनपुर के आराजी संख्या–32मि. में स्थापित किया गया है, जिसका जिओ को–आर्डिनेट्स 25.877960 अक्षांश एवं 82.472068 देशांतर है।
2. प्रश्नगत विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप को तत्कालीन जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या–169/डी0एल0आर0सी0–जौनपुर, दिनांक 15.12.2021 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे से मुक्त करके अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय–जौनपुर को विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप खोले जाने हेतु ग्राम–पट्टीदयाल, परगना–रारी, तहसील–बदलापुर, जनपद–जौनपुर के आराजी संख्या–32मि. पर 9000

वर्गमीटर भूमि को 30 वर्ष तदोपरांत 30–30 वर्ष पर आवश्यकतानुसार 90 वर्ष की अवधि तक पट्टा किया गया है।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी के पत्र संख्या–1936/वि0जा0 खं0(वि0)/वा0/बदलापुर वर्कशॉप, दिनांक 03.01.2022 **(संलग्नक–2)** द्वारा जिला वन अधिकारी, जनपद–जौनपुर से प्रस्तावित कार्य स्थल पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़–पौधे एवं मौजूद वृक्षों का सर्वेक्षण कराकर पातन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, तत्क्रम में प्रभागीय वन निदेशक, जौनपुर के पत्रांक संख्या–2879/22–5 जौनपुर दिनांक 18.02.2022 **(संलग्नक–3)** के द्वारा 52 वृक्षों की मूल्यांकन करते हुए नियमानुसार नीलामी/पातन किये जाने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी के पत्र संख्या–357/ वि0जा0खं0 (वि0)/वा0/कार्यादेश/बदलापुर–जौनपुर, दिनांक 24.05.2022 एवं पत्रांक 40/ वि0जा0खं0(वि0)/वा0/संशाधित–कार्यादेश/बदलापुर–जौनपुर कैम्प, दिनांक 22.08.2022 द्वारा मेसर्स आदर्श ट्रेडर्स, ए–18/14ए–1, दीवानगंज, आदमपुर, वाराणसी को आमंत्रित कोटेशन के अनुसार संदर्भित स्थल पर अवस्थित विभिन्न प्रजाति के पेड़–पौधों की नीलामी कर पातन के कार्य हेतु पेड़ों की कटाई व उठान का कार्य दिया गया। तदोपरान्त प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के पत्रांक संख्या–773/33–3 जौनपुर, दिनांक 03.09.2022 **(संलग्नक–4)** द्वारा मेसर्स आदर्श ट्रेडर्स, ए–18/14ए–1, दीवानगंज, आदमपुर, वाराणसी के पत्र दिनांक 30.08.2022 का संज्ञान लेते हुए वृक्षों की नीलामी पातन व अभिवहन की अनुमति प्रदान की गयी। संदर्भित विद्युति ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप की मरम्मत क्षमता 400 ट्रांसफॉर्मर/माह की है। ग्राम–पट्टीदयाल में वर्कशॉप स्थापना से पूर्व जनपद–जौनपुर में एक मात्र ट्रांसफॉर्मर मरम्मर वर्कशॉप जौनपुर शहर के अहियापुर में स्थापित थी। ग्राम–पट्टीदयाल में ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप प्रारम्भ होने के ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत के लिये आवागमन की दूरी तथा व्यय में कमी आयी है। आवागमन की दूरी कम होने के कारण परिवहन में खपत होने वाले ईधन की खपत में कमी आयी है, जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण में कमी आयी है तथा ट्रांसफॉर्मर में तीव्र सुधार से आम जनमानस का जीवन सुविधाजनक हुआ है।

5. उक्त विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप की स्थापना के विरूद्ध विगत में श्री लालचन्द शर्मा एवं अन्य ग्रामवासियों, ग्राम–पट्टीदयाल, बदलापुर, जौनपुर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्लीं में की गयी शिकायत दिनांक 14.09.2022 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 **(संलग्नक–5)** के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"...... 3. In our view the grievance at the first instance can be looked into by the Local Authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint 2 Committee comprising PCCF (HoFF), State PCB and District Magistrate, Jaunpur who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The District Magistrate, Jaunpur shall be nodal agency for coordination and compliance. ....."

उक्त के अनुपालन में तत्कालीन जिलाधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ व राज्य प्रदूषण नियंत्रण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 21.03.2023 को विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप के कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, तदोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के पत्र

संख्या–3168 / 14–16, जौनपुर, दिनांक 28.03.2023 द्वारा मेसर्स आदर्श ट्रेडर्स, ए–18 / 14ए–1, दीवानगंज, आदमपुर, वाराणसी को यथाशीघ्र वृक्षों का पातन रोकने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय कमेटी द्वारा 21 वृक्ष अवशेष को अवगत कराते हुए निपातित किये गये वृक्षों के स्थान पर 520 (शीघ्र बढ़ने वाले) पौधों का पौधारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके सम्बन्ध में विद्युत विभाग के पत्र दिनांक 12.05.2023 **(संलग्नक–06)** से बचनबद्धता दी गयी है, जिसके अनुसार 31 वृक्ष रोपित कर दिये गये तथा शेष 490 वृक्ष के रोपण हेतु वन विभाग को रू0 4,07,100.00 का भुगतान किया गया है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.08.2025 के दौरान विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप बाउण्ड्रीवाल के अन्दर 19 तथा बाउण्ड्रीवाल के साथ 02 पूर्व से विकसित वृक्ष स्थित पाये गये, उक्त वृक्षों के अतिरिक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्तर्गत 31 लघु पौधे तथा 490 लघु पौधे वन विभाग, जौनपुर द्वारा वर्कशॉप के निकट स्थित तालाब के चारो तरफ रोपित पाये गये, जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के पत्रांक 807 / 2–43, जौनपुर, दिनांक 25.08.2025 **(संलग्नक–07)** द्वारा भी की गयी है। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री अशोक सिंह से दूरभाष सं0– 9044287300 पर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण / सत्यापन के समय स्थल पर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री केशव प्रसाद शर्मा, ग्राम–पट्टीदयाल, तहसील–बदलापुर, जनपद–जौनपुर शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे।

6. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा अद्यतन में गठित संयुक्त समिति के समक्ष विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप परिसर में अधिकाधिक आम के पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का सुझाव दिया गया। मौके पर संयुक्त समिति द्वारा विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप प्रतिनिधि को अविलम्ब वर्कशॉप परिसर में लगभग 50 पौधों का वृक्षारोपण कराकर संयुक्त समिति को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी के पत्र संख्या–998 / वि0जा0खं0(वि0) / वा0, दिनांक 21.08.2025 द्वारा 52 पौधों (26 आम एवं 26 अमरूद) के रोपित किये जाने की सूचना समिति को प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–08)**
7. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं **(संलग्नक–09)** ।

उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति की आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

एस0डी0ओ0 विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर	अधिशासी अभियन्ता विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	अवर अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर	मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर	जिलाधिकारी, जौनपुर

श्री अशोक सिंह के पत्र याचिका में इंगित स्थल "विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर" का संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

श्री अशोक सिंह के पत्र याचिका में इंगित स्थल "विद्युत वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर" का संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत जानपद खण्ड (वि0)
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0
वाराणसी–221004

Email:seecivil.vnspuvvnl@gmail.com
Mob. No.-9450963878
Land Line No-05422300833

पत्रांक :– 1936 वि0जा0खं0(वि0) / वा0 / बदलापुर वर्कशॉप — दिनांक 03/01/2022

विषय–जनपद–जौनपुर के तहसील–बदलापुर के विकास खण्ड–बदलापुर के ग्राम सभा–पट्टीदयाल में विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशाप की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

जिला वन अधिकारी,
जनपद–जौनपुर।

पंजीकृत / ई–मेल

महोदय,

सादर संज्ञान में लाना है कि जनपद–जौनपुर के तहसील एवं विकास खण्ड–बदलापुर के ग्राम सभा–पट्टीदयाल, परगना–रारी में जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर के आदेश संख्या–169 / डी0एल0आर0सी0–जौनपुर, दिनांक 15.12.2021 के द्वारा गाटा संख्या–32मि के अन्तर्गत 9000.00 वर्ग मीटर की भूमि (छायाप्रति संलग्न) विद्युत कार्यशाला के निर्माण हेतु विद्युत विभाग को आवंटित की गयी है। उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल पर लगभग 13 नग कैथा, 04 नग शीशम, 29 नग आम, 02 नग नीम एवं अन्य विभिन्न प्रजातियों के पेड़–पौधे एवं वृक्ष मौजूद है। जिसकी वजह से कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है।

यहाँ यह संज्ञानित करना अति आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप आगामी ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के दृष्टिगत जनपद–जौनपुर में गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य की समीक्षा लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है।

अतः कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे विशेष अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यस्थल पर मौजूद वृक्षों का सर्वेक्षण करवाकर कटवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करने की कृपा करें।
कृपया इसे अतिमहत्वपूर्ण समझें।
संलग्नक–यथोपरि।

03/01/2022
(बी0पी0 अग्रवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– 1936 / वि0जा0खं0(वि0) / वा0 / बदलापुर वर्कशॉप / तद्दिनांक: 03/01/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
2– मुख्य अभियन्ता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
3– मुख्य वन संरक्षक, जनपद–जौनपुर, क्षेत्र–मिर्जापुर, मिर्जापुर।
4– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय, जौनपुर।
6– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, जौनपुर।
7– उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद उपखण्ड(वि0)–प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी को उनके कार्यालय पत्रांक संख्या–194 / वि0जा0उ0खं0(वि0) / वा0 / बदलापुर–जौनपुर / निरीक्षण, दिनांक 24.12.2021 के सन्दर्भ में।

03/01/2022
(बी0पी0 अग्रवाल)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय : क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
पत्रांक : 4844/12-5 जौनपुर : दिनांक : फरवरी, 18, 2022

सेवा में,
- अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड (द्वि)
पूर्वांचल विद्युत वितरण लि0
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्लू0
वाराणसी –221004।

विषय:- वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ – क्षेत्रीय वन अधिकारी, बदलापुर का पत्रांक – 79/22-1 दिनांक 10.02.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में ग्राम सभा पट्टीदयाल में विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशाप की स्थापना में बाधक वृक्षों का मूल्यांकन क्षेत्रीय वन अधिकारी, बदलापुर द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग	मूल्यांकन	धनराशि
1	आम	90-ऊपर	1.150 x1037 x1/3	1436.00
2	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
3	आम	70-80	3.040 x1037 x1/3	1061.00
4	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
5	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
6	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
7	आम	20-30	0.140 x1037 x1/3	48.00
8	आम	20-30	0.140 x1037 x1/3	48.00
9	आम	10-20	0.0 x1037 x1/3	0.00
10	आम	10-20	0.0 x1037 x1/3	0.00
11	आम	20-30	0.140 x1037 x1/3	48.00
12	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
13	आम	50-60	1.450 x1037 x1/3	501.00
14	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
15	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
16	आम	30-40	.480 x1037 x1/3	159.00
17	आम	30-40	.880x1037 x1/3	159.00
18	आम	40-50	0.140 x1037 x1/3	306.00
19	आम	30-40	.480 x1037 x1/3	159.00
20	आम	40-50	0.140 x1037 x1/3	306.00
21	आम	40-50	0.140 x1037 x1/3	306.00
22	आम	40-50	0.140 x1037 x1/3	306.00
23	आम	60-70	2.190 x1037 x1/3	757.00
24	आम	70-80	3.040 x1037 x1/3	1061.00
25	आम	40-50	0.140 x1037 x1/3	306.00
26	आम	70-80	3.040 x1037 x1/3	1051.00
27	शीशम	30-40	0.531x9690 x1/3	1715.00
28	शीशम	30-40	0x9690 x1/3	0.00
29	शीशम	30-40	0x9690 x1/3	0.00
30	शीशम	30-40	0x9690 x1/3	0.00
31	शीशम	20-30	0.531x9690 x1/3	1715.00
32	कैथा	20-30	0.140x1725 x1/3	513.00
33	पिलखिन	10-20	0x1646 x1/3	0.00
34	पिलखिन	10-20	0x1646 x1/3	0.00

Received [illegible] 18/11/22

35	पिलखिन	20-30	0.227x1646 x1/3	125.00
36	पिलखिन	30-40	0.722x1646 x1/3	396.00
37	पिलखिन	20-30	0.227x1646 x1/3	125.00
38	पिलखिन	40-50	1.288x1646 x1/3	707.00
39	पिलखिन	20-30	0.227x1646 x1/3	125.00
40	पिलखिन	50-60	1.883x1646 x1/3	1033.00
41	पिलखिन	20-30	0.227x1646 x1/3	125.00
42	पिलखिन	50-60	1.883x1646 x1/3	1033.00
43	नीम	20-30	0.183x3642x1/3	222.00
44	नीम	20-30	0.183x3642x1/3	222.00
45	अमलतास	20-30	.255x1726x1/3	147.00
46	अमलतास	20-30	.255x1726x1/3	147.00
47	सिहोर	20-30	0.227x1726x1/3	131.00
48	सिहोर	20-30	0.227x1726x1/3	131.00
49	सिहोर	20-30	0.722x1726x1/3	416.00
50	सिहोर	20-30	0.227x1726x1/3	131.00
51	सिहोर	20-30	0.x1726x1/3	0.00
52	सिहोर	20-30	0x1726x1/3	0.00
			योग	21420.00

अतः उपरोक्त वृक्षों का नियमानुसार नीलामी का पातन करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रवीण खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या-2879 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, बदलापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

(7)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर ।
पत्रांक– 773/33-3 जौनपुर, दिनांक, 03-3-2022 ।

सेवा में,

मेसर्स आदर्श ट्रेडर्स,
ए.–16/149–1,
दीवानगंज,आदमपुर,
वाराणसी।

विषय– तहसील व विकास खण्ड–बदलापुर जनपद जौनपुर के ग्राम सभा पट्टीदयाल,परगना–राढ़ी में गाटा संख्या– 32मि0 के अन्तर्गत 9000.00 वर्गमीटर भूमि पर नई विद्युत कार्यशाला के निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर अवस्थित विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे की नीलामी कर पातन कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्र दिनांक 30.08.2022 व अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युतनगर, भिखारीपुर,डी0एल0डब्लू,वाराणसी का पत्रांक–40/वि0ज0ख0(वि)/वा0सं0सि0–कार्यादेश/बदलापुर,जौनपुर दिनांक 22.08.2022।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2879/22–5 दिनांक 18.02.2022 द्वारा मूल्यांकित वृक्ष आम–28 अदद, शीशम–5 अदद,कैथा–1 अदद,चिलबिल–10 अदद,नीम–2 अदद,अमलतास–2 अदद व सिहोर–6 अदद जो तहसील व विकास खण्ड–बदलापुर जनपद–जौनपुर के ग्राम सभा पट्टीदयाल, परगना–राढ़ी में गाटा संख्या–32मि0 के अन्तर्गत 9000.00 वर्गमीटर भूमि पर नई विद्युत कार्यशाला के निर्माण में बाधक है। उपरोक्त मूल्यांकित वृक्षों को आप द्वारा नीलामी में क्रय कर पातन व अभिवहन की अनुमति चाही गई है।

अतः उपरोक्त मूल्यांकित व नीलामी में क्रय किये गये आम–28 अदद, शीशम–5 अदद, कैथा–1 अदद, चिलबिल–10 अदद, नीम–2 अदद, अमलतास–2 अदद व सिहोर–6 अदद कुल–52 वृक्षों को विकास कार्य (राजकीय कार्य) में बाधक होने के कारण पातन व उससे सम्बन्धित प्रकाष्ठ को ग्राम सभा पट्टीदयाल,बदलापुर जौनपुर से वाराणसी तक अभिवहन कराने की अनुमति दी जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
जौनपुर ।

संख्या– अ/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–उप जिलाधिकारी,बदलापुर।
2–वन क्षेत्राधिकारी, बदलापुर।
3–अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युतनगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू, वाराणसी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
जौनपुर ।

—

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पत्रांकः–807 /2–43,जौनपुर, दिनांक :25-08-2025।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ,
आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स,
जवाहर नगर भेलूपुर, वाराणसी

विषयः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–288/2025 अशोक सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयंकित पत्र के आलोक में सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 288/2025 अशोक सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में वन विभाग जौनपुर द्वारा बिंदुवार निम्नलिखित कार्रवाई की जा चुकी है–

1. पट्टीदयाल ग्राम सभा में तालाब के किनारे निर्देशानुसार 479 पौधों के सापेक्ष 490 पौधों का रोपण वर्ष 2023–24 में किया गया था। तथा उनकी सुरक्षा हेतु तारवाड़ का प्रबंध भी किया गया है।

2. उक्त वृक्षारोपण हेतु विद्युत विभाग द्वारा रुपए 407100/ की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई गई थी।

3. वर्तमान में पौधे स्वस्थ एवं हरे भरे हैं तथा सफलता शत प्रतिशत है, अनुरक्षण एवं रख रखाव कार्य जारी है।

4. वृक्षारोपण की फोटो संलग्न है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एप्लीकेशन नंबर 288/2025 अशोक सिंह बनाम स्टेट आफ ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में उपरोक्त अनुपालन आख्या महोदय सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

संख्याः / ,समदिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग- रेंज-बदलापुर-जौनपुर

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग- रेंज-बदलापुर-जौनपुर
तालाब भूमि
- 2023-24
- 490
जौनपुर (उ.प्र.)

CIN-U31200UP2003SGC027461

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत जानपद खण्ड (वितरण)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0
वाराणसी–221004

Email-
xen.civil.varanasi@puvvnl.in
Mob. No. 9450963873

पत्रांक :998/वि0जा0ख0(वि0)/वा0/ दिनांक 21/08/2025

विषयः–विद्युत कार्यशाला केन्द्र तहसील–बदलापुर, जनपद–जौनपुर के परिसर में 52 नग वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

पंजीकृत → क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–वाराणसी।

ई–मेल द्वारा

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्रांक–579/N.G.T.O.A.No-288/2025/2025-26 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत कार्यशाला केन्द्र–बदलापुर, जौनपुर परिसर में कुल 31 नग वृक्षों का वृक्षारोपण पूर्व में किया गया है। पुनः दिनांक 02.08.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी महोदया, जनपद–जौनपुर एवं सदस्य, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान 50 नग वृक्षों को रोपित करने हेतु निर्देशित किया गया।

सूचनीय है कि दिनांक 12.08.2025 को डिप्टी रेंजर, वन विभाग, बदलापुर के पर्यवेक्षण एवं पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी से अवर अभियन्ता(जानपद) एवं उपखण्ड अधिकारी(जानपद) की उपस्थिति में 52 नग वृक्षों (26 आम, 26 अमरूद) का रोपण करा दिया गया है।

अतः आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– यथोपरि।

21/08/25
(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– /वि0जा0खं0(वि0)/वा0/तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (तकनीकी), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
2– मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद–जौनपुर।
4– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, पूविविनिलि0, वाराणसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वृक्षों की देख–रेख हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं./Ref.No. 579/N.G.T.O.A.No-288/2025/25-26 दिनांक/Date 20-8-25

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत जानपद खण्ड (वि0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में "विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर के स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण दिनांक 02.08.2025 के दौरान गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 288/2025 अशोक सिंह V/s. स्टेट ऑफ उ0प्र0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त समिति के सदस्यों, श्री अमित राय, एस0डी0ओ0 विद्युत विभाग तथा शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के उपस्थिति में जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर की अध्यक्षता में विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप, बदलापुर, जौनपुर का निरीक्षण/सत्यापन दिनांक 02.08.2025 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप के बाउण्ड्रीवाल के अन्दर 50 आम के वृक्षों को रोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, वर्तमान तक उक्त निर्देशों के अनुपालन में आप द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में दूरभाष पर श्री अमित राय, एस0डी0ओ0 से सम्पर्क किया गया, परन्तु उनके द्वारा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी मौखिक/लिखित रूप में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना 03 दिवस के अन्दर जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे कि यथास्थिति से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुऐ मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पूर्ण कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951
मुख्यालय : टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764
ई–मेल : info@uppcb.in वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

सयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत ट्रान्सफार्मर वर्कशॉप के परिसर में अन्दर वृक्षारोपण का करते हुए।